तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज अब्दुल गफार बनाम लो.सू.अ. (जिला अल्प संख्यक अधिकारी, जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 14/2018	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.02.18	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अब्दुल गफार पता सकीना कालोनी,सिवांचीगेट जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 01.12.17 में उसके द्वारा (1) अल्पसंख्यक कार्यालय जोधपुर द्वारा लोन लेने वाले डिफाल्टर लोन धारकों की बनाई गई सूची की प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जिला अल्पसंख्यक अधिकारी जोधपुर) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (जिला अल्पसंख्यक अधिकारी जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (जिला अल्पसंख्यक अधिकारी जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1050 दिनांक 30.01.18 सूचना पत्र प्राप्त हुआ। पत्र का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को समय पर सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई तथा अपील दायर होने के बाद सूचना दी गई तथा बिन्दु संख्या 01 से संबंधित जो सूचना 19 पृष्ठीय होना बताया गया तथा 30 दिन के पश्चात् 38 रूपये सूचना शुल्क जमा कराने को कहा गया जो विधिक प्रावधानों के विरूद्ध है तथा ऐसा करना विधिक प्रावधानों का आत्मसात् न करने का फल है। अतः अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण निर्धारित अवधि में किया जावे तथा प्रार्थी द्वारा बिन्दु संख्या–एक से संबंधित सूचना 15 दिवस के भीतर निःशुल्क प्रदान करे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	